न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी –पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

निगरानी संख्या– 01/2015

आम जनता दौसा खुर्द तहसील दौसा जरियेः–
1. छोटेलाल पुत्र महादेव
2. महेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल
3. रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी छोटी दौसा तहसील दौसा जिला दौसा।

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामसहाय, गणेश नगर रेल्वे लाईन के पास दौसा जिला दौसा।
2. कमलेश पुत्र रामसहाय, गणेश नगर रेल्वे लाईन के पास दौसा जिला दौसा।
3. रूकमणी पत्नि कैलाश शर्मा जाति हरि. ब्राह्मण निवासी फुटल्याबाग सोडाला जयपुर।
4. छोटी पत्नि गजानन्द शर्मा जाति हरि. ब्राह्मण निवासी भाजुपुरा बस्सी।
5. धापा पत्नि कन्हैयालाल शर्मा जाति हरि. ब्राह्मण निवासी गढ तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. कौशल्या पत्नि शंकर शर्मा जाति हरि. ब्राह्मण निवासी खण्डाका ढाणी गढ बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. कल्ली पत्नि कैलाश जाति हरि. ब्राह्मण खण्डाका गढ बस्सी जिला जयपुर।
8. पुष्पा पत्नि प्रकाश शर्मा जाति हरि. ब्राह्मण निवासी नाई की थडी रामगढ रोड जयपुर। (नाम हजफ)
9. प्रेम पत्नि सूरज शर्मा जाति हरि. ब्राह्मण निवासी नंगलामाता का मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर जिला जयपुर। (नाम हजफ)
10. नगर परिषद दौसा जरिये सभापति।
11. आयुक्त नगर परिषद दौसा।
12. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।
13. तहसीलदार दौसा।
14. उपपंजीयक दौसा ।
15. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा जरिये प्राचार्य।
16. उच्च शिक्षा निदेशालय राज0 जरिये निदेशक महाविद्यालय शिक्षा जयपुर ।
17. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौसा खुर्द जरिये प्रधानाध्यापक।
18. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक दौसा।

निगरानी विरूद्ध पट्टा दिनांक 18.01.1994 द्वारा नगर पालिका दौसा जो घीसी के हक मे जारी किया गया है। अंतर्गत धारा 73(2) नगर पालिका अधिनियम।

उपस्थितिः– 1.श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ,अधिवक्ता निगरानीकारान
2.श्री जगजीवन राम अधिवक्ता गैर निगरानीकार 1लगा0 7 की ओर से
3. चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 01.04.2021

संक्षिप्त वृतांत निगरानी इस प्रकार है कि नगर पालिका दौसा द्वारा चरागाह भूमि खसरा नंबर 1693 रकबा 2.18 है0 वाके ग्राम दौसा खुर्द मे से श्रीमती घीसीदेवी को जारी

304 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। नगर पालिका दौसा द्वारा जारी उक्त पट्टे को मनमाने व विपरीत तरीके से सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि होते हुए भी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही कर जारी किया गया है। इसी से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रार्थीगण ने प्रस्तुत की है।

निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी याचिका मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में दलील दी है कि निगरानीकर्तागण आम जनता छोटी दौसा के निवासीयान है तथा गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 लगायत 09 करीब 25 साल से छोटी दौसा मे नही रहते है। आराजी खसरा नं0 1693 रकबा 2.18 है0 दौसा खुर्द चरागाह भूमि है। उक्त भूमि पर पुराना पक्का कुँआ जिसमे नलकूप लगा है जो सार्वजनिक उपभोग मे आता रहा है। उक्त भूमि के आस पास आबादी बसी हुई है और उक्त चरागाह भूमि पर राजकीय विद्यालय दौसा खुर्द बना है। चरागाह भूमि एवं राजकीय विद्यालय की कुछ भूमि का हिस्सा सम्मिलित करते हुए गैर निगरानीकर्ता सं. 01 जो भूमाफिया है, ने झूंठे शपथ पत्रों द्वारा अपनी माता श्रीमती घीसी देवी के नाम तथाकथित अवैध पट्टा दिनांक 18.1.1994 गुप्त रीति से नगर पालिका दौसा द्वारा प्राप्त कर लिया है। जिसके आधार पर उक्त वादग्रस्त पट्टे जिस पर गैर निगरानीकर्ता 1 लगा 09 का कोई अधिकार नही है कब्जा करना चाहते है। गैर निगरानीकर्ता सं0 01 व 02 द्वारा अवैध पट्टे के आधार पर दिनांक 28.01.2015 को वाद पत्र संख्या 05/2015 उनवानी सत्यनारायण बनाम नगर परिषद मय टी0आई0 प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सिविल जज दौसा के समक्ष पेश किया जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता एवं आम जनता दौसा खुर्द को होने पर निगरानी पेश की गई। उक्त विवादित पट्टेशुदा भूखण्ड पर निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 तथा अन्य व्यक्तियों का भी कब्जा चला आ रहा है। नगर पालिका दौसा द्वारा बिना कब्जे की जांच किये, पट्टा जारी करने से पूर्व कोई आपत्ति नोटिस जारी किये बिना एवं पंचों द्वारा मौका देखे बिना ही पट्टा मात्र अध्यक्ष नगर पालिका दौसा द्वारा नगर पालिका कोरम युक्त बोर्ड मे पेश हुए बिना ही जारी किया गया है। उक्त सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि का पट्टा जारी करने का नगर पालिका दौसा को कोई अधिकार नही है। उक्त पट्टे पर वार्ड पंच एवं जेईएन की कोई राय नहीं ली गई तथा पट्टा पत्रावली मे जारी नोटिस दिनांक 02.01.1992 की पालना नही की गई। पट्टे मे खसरा नंबर का भी उल्लेख नही है तथा चतुर्थ सीमाएं पूर्व मे राधेश्याम का बाडा, उत्तर मे रामजीलाल का बाडा, पश्चिम मे सार्वजनिक कुआ उक्त तीनों सीमाएं चरागाह भूमि मे स्थित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिका दौसा द्वारा बिना विधिवत जांच किये एवं पीडित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर नगर पालिका दौसा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 18.01.1994 जो कि धीसी देवी के हक मे जारी किया गया है को निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 7 की बहस में दलील है कि गैर निगरानीकार की माता स्व0 श्रीमती घीसी देवी पत्नि रामसहाय का कब्जेशुदा व स्वामित्व शुदा भूखण्ड छोटी दौसा मे स्थित हैं। उक्त भूखण्ड का शाश्वत लीज पट्टा नगर पालिका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बोर्ड नगर पालिका दौसा द्वारा दिनांक 18.01.1994 को विधिवत रूप से जारी किया गया। उक्त भूखण्ड पर गैर निगरानी कार की माता घीसी देवी के स्वामित्व व कब्जा था जिस पर घीसी देवी ने चारों तरफ पट्टा मिलने पर बाडण्ड्रीवाल निर्माण करवाया था। घीसी की मृत्यु हो जाने पर भूखण्ड पर वारिसान गैर निगरानीकार का वास्तविक कब्जा हैं। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा चरागाह भूमि होने का कोई साक्ष्य पेश नही किया है। माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय दौसा द्वारा आदेश दिनांक 27.01.2016 द्वारा अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण को पट्टेशुदा भूमि पर तोड. फोड नही करने एवं अतिक्रमण नही करने बाबत पाबंद किया गया। परंतु नगर पालिका दौसा के माध्यम से तोड फोड की गई। अधीनस्थ न्यायालय नगर पालिका दौसा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 18.01.1994 जो कि धीसी देवी के हक मे जारी किया गया है में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अति0 जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रा0 शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति दौसा की रिपोर्ट दिनांक 04.12.2015 के अनुसार खसरा नं0 1693 रकबा 2.18है0 चरागाह भूमि है जिसके एक हिस्से पर 1949 से राप्रावि (2006 से उप्रावि मे क्रमोन्नत)दौसा खुर्द का भवन बना हुआ है। जिसमे विद्यालय संचालित है। उक्त चरागाह भूमि पर पट्टा जारी किया जाना विद्यालय एवं छात्र हित के विपरित होना अंकित किया गया है एवं विद्यालय की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट मे खसरा नं0 1693 ग्राम दौसा खुर्द का रकबा 2.18 है0 चरागाह होना एवं सम्पूर्ण रकबा 2.18 मे से किसी को भी भूमि आवंटित नही की होना अवगत कराया गया। साथ ही उक्त खसरे की संपूर्ण भूमि पर सरकारी कब्जा या अवैध निर्माण बताया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नगर पालिका दौसा की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि की किस्म के संबंध मे वार्ड पंच एवं जेईएन की कोई राय अंकित नहीं है तथा पट्टा पत्रावली मे जारी नोटिस क्रमांक 470 दिनांक 02.01.1992 की भी पालना नही की गई है। नगर पालिका दौसा द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 672 दिनांक 18. 01.1994 मे पट्टा किस खसरा नंबर की भूमि मे जारी किया गया हैं, का भी उल्लेख नही है। उक्त पत्रावली मे वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1693 रकबा 2.18 है0 वाके ग्राम दौसा खुर्द के आबादी भूमि मे होने का भी कोई दस्तावेज पेश नही हुआ। पटवारी की रिपोर्ट मे भी खसरा नं0 1693 को चरागाह होना अंकित किया है एवं सम्पूर्ण रकबा 2.18 मे से किसी को भी भूमि आवंटित नही की गई है। अति0 जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रा0 शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति दौसा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 1693 रकबा 2.18है0 चरागाह भूमि है। प्रश्नगत पट्टा विलेख की भूमि राजस्व रिकार्ड में स्थिति स्पष्ट दर्ज नही है। नगर पालिका दौसा द्वारा जारी पट्टे की पत्रावली पर भूमि की किस्म एवं खसरा नंबर अंकित नही है। जिससे स्पष्ट नही होता है कि उक्त पट्टा किस खसरा नं0 मे जारी किया गया है। इस स्थिति से प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ नगर पालिका दौसा द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि के स्वामित्व व कब्जे के संबंध मे कोई जांच नही की गई है तथा न ही किस खसरा नं. मे प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है, इसका पट्टे मे अंकन किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया है। नगर पालिका दौसा का उक्त आदेश बाबत पट्टा जारी किये जाने विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है। नगर पालिका दौसा द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा क्रमांक 672 दिनांक 18.01.1994 निरस्त किया जाकर नगर परिषद दौसा को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि न्यायालय के निर्णय के आलोक मे एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 01.04.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official